न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 95/2025(GCMS 2025/406)

श्री मुकन्द सिंह पुत्र श्री हरनेक सिंह निवासी 5 केएसडी, रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर (मोबाईल नम्बर 94619–41862)

बनाम

उपतहसीलदार (राजस्व), समेजा कोठी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

19.03.2026

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री मुकन्द सिंह स्वयं उपस्थित नहीं हुआ पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 10.09.2025 से नायब तहसीलदार, समेजा कोठी से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत चाही थी, जो नायब तहसीलदार, समेजा कोठी ने उसे उपलब्ध नहीं करवाई है, इसलिए अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने हेतु यह अपील पेश की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री मुकन्द सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 10.09.2025 के द्वारा उप तहसीलदार, समेजा कोठी से निम्न सूचना चाही थी :

1. उप तहसील समेजा कोठी के अधीन संपूर्ण क्षेत्र में कितनी आराजी राज भूमि दर्ज है, उसका खसरा वार क्षेत्रफल विवरण
2. उपरोक्त आराजी राज भूमि में से कितने क्षेत्रफल पर कब्जा/काश्त की जा रही है, उसका विवरण
3. इन आराजी राज भूमियों से प्राप्त राजस्व वार्षिक आय का लेखा–जोखा (वर्षवार)
4. उक्त आय में से राजकोष में जमा की गई राशि का विवरण
5. आराजी राज भूमि का कब्जा/काश्त करने वाले व्यक्तियों/संस्थाओं के नाम, खसरा संख्या, क्षेत्रफल एवं वसूल की गई राशि का पूरा विवरण
6. वर्ष 2023–24 एवं 2024–25 के लिए उपरोक्त समस्त ब्योरा अलग अलग उपलब्ध कराया जाए।

नायब तहसीलदार (राजस्व), समेजा कोठी, तहसील रायसिंहनगर ने अपने पत्रांक सूकाअ/2026/125 दिनांक 23.02.2026 से अवगत करवाया है कि उनके द्वारा अपीलार्थी को जवाब दिया जा चुका है, नायब तहसीलदार, समेजा कोठी ने अपने पत्रांक रीडर/2025/407 दिनांक 24.09.2025 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है :

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि आप द्वारा चाही गई उक्त सूचना के संबंध में आपको सूचित किया जाता है कि बिन्दु संख्या 1 से 6 के संबंध में आपने जिस प्रारूप मे सूचना चाही है। वह कार्यालय में संधारित नहीं है। इस संबध मे आपको सूचित किया जाता है कि राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2एफ में सूचना से तात्पर्य किसी भी स्वरूप में कोई भी सामग्री इसमें किसी भी इलेक्ट्रोनिक रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई–मेल, मत, सलाह, प्रैस विज्ञप्ति, परिपत्र आदेश, लॉग बुक, संविदा रिपोर्ट, कागज पत्र नमूने, मॉड़ल आंकडो संबंधी सामग्री शामिल है। लोक सूचना अधिकार द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। सूचना का सृजन करना अधिनियम के कार्य क्षेत्र से बाहर है। आपके आवेदन पत्र से संबंधित चक का नाम वर्णित नहीं है। आप कार्यालय से रिकॉर्ड की नकल चाहते है तो धारा 22 के प्रकरण संख्या सहित अथवा चक नाम सहित आवेदन पत्र प्रेषित कर नकल प्राप्त कर सकते है।

उप तहसीलदार (राजस्व), समेजा कोठी ने अपीलार्थी को उक्तानुसार जवाब दिया है। **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005** की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है, जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए।** सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है।** सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी**

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इसलिए **उप तहसीलदार (राजस्व), समेजा कोठी ने प्रार्थी को जो जवाब दिया है, वह सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।** फिर **भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भावनाओं** को देखते हुए उप तहसीलदार (राजस्व), समेजा कोठी को आदेशित किया जाता है कि अपीलार्थी वांछित सूचना से सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध करवा देवें तो उसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार सूचना उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। **आदेश की प्रति उप तहसीलदार(राजस्व), समेजा कोठी, रायसिंहनगर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल द0फ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 19.03.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर